

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/4797
दिनांक : 14.1.2020

सेवा में,
सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

महोदय/महोदया,

आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि जिन संस्थानों/महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता दिनांक 30.06.2020 को समाप्त होने जा रही है तथा वे उक्त पाठ्यक्रमों/विषयों में दिनांक 01.07.2020 से सम्बद्धता विस्तारण/स्थायी सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय से निरीक्षण मण्डल का गठन किये जाने हेतु अनुरोध कर रहे हैं, वे अनुरोध के साथ संस्थान को प्राप्त नैक मूल्यांकन (NAAC) का प्रमाण पत्र अथवा नैक मूल्यांकन हेतु अनुरोध पत्र की प्रति एवं ए0आई0एस0एच0ई0 (AISHE) की प्रति तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे सम्बद्धता विस्तारण हेतु संस्थान के लिए निरीक्षण मण्डल का गठन किया जा सके। यदि कोई संस्थान उपरोक्त अभिलेख विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं कराता है तो विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता विस्तारण हेतु उक्त पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता विस्तारण हेतु निरीक्षण मण्डल का गठन नहीं किया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।

भवदीय,


13-01-2020
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

01. व्यक्तिगत सहायक कुलपति को मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
02. प्रभारी वेबसाइट इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव